

### प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - ~~पूर्वकृष्ण शिवाली में प्रधानभूमि गामीन इलाके में वन संरक्षण के अन्तर्गत शिवाली~~  
 (i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र - ~~उत्तराखण्ड~~, ~~कुनैव भौम मास (८८०० किमी<sup>2</sup>)~~ के नव निर्गम हेतु वन भूमि द्वारा उपलब्ध किया गया।

(ii) जिला - ~~चंडीगढ़ शिवाली~~,

(iii) जिला वन प्रभाग - ~~चाटाब वन प्रभाग चंडीगढ़~~,

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 4.968 हेक्टर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति - उपरक्षित वन भूमि - 4.351 हेक्टर, सिविल सीमा भूमि - 0.617 हेक्टर

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

(i) वन का प्रकार ~~आरक्षित सिविल~~ :

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.5

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम - ~~टीके बोले हुए सूखी से काढ़ा छोड़ा गया। इसके बाद इसके निलोप से निर्वाचित करने का विधिमूलक विकास करना।~~

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण ~~गोजना का नस्वा लुक्का - ५०।। वृक्ष वन वित्त द्वारा प्राप्तिना ०-१० क्षात्रका के लिए भिन्न प्रणाली~~

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और धूमधारा से संकेत दिया गया। ~~इसके पास वन भूमि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण दिया गया। इसके बाद इसके लिए वन भूमि का नस्वा लुक्का दिया गया।~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी करते हुए वनस्पति का विवरण दिया गया। ~~इसके पास वन भूमि का नस्वा लुक्का दिया गया।~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्व : 0.5 किमी

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : ~~छुक्के वन्यजीव विवरण है।~~

नहीं,

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं,

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव विवरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं,

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव विवरण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के साथ उसका व्यौरा दें)

नहीं,

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

हाँ,

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

—

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

—

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

—

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

—

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति - ~~शाम-कुनैव भूत्तराखण्डस्थाका के नाम दर्शकानी-परख (२) के अवातर नं ३२ के अवधारणा वन्यजीव वन भूमि १.०३१ हेक्टर~~

जैसे ब्यौरे दें। ~~अवधारणा वन्यजीव वन भूमि १.०३१ हेक्टर का अवधारणा वन भूमि ०.५९७ हेक्टर दर्शकानी-परख (२) के अवातर नं ३२ के अवधारणा वन्यजीव वन भूमि ०.५९७ हेक्टर~~

(ii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए वन भूमि का अवनत वन दाशत करने वाले 1:50,000 माप के मूल स्थल परत १.०३१ हेक्टर

भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

—

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं  
 हाँ /  नहीं

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ₹ 12,91,680.10 (वारषिक इकानस्ते व्याप्र फैस्ट डाक्टी ग्राह)

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं  
 हाँ /  नहीं।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं  
 हाँ /  नहीं।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों स्थान: पीड़ी (गढ़वाल)

तारीख: 17/08/2018

जनहित में स्वेच्छात्मिकी जाती है।

हस्ताक्षर: वन संरक्षक  
वन संरक्षक  
नीति